

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग
-: अधिसूचना :-

दिनांक 13-09-2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/18-19 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि एन0टी0पी0सी0तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ
घरघोडा
बासनपाली
1.336 हे0

खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)
38/1	0.012	311/1	0.002
38/3	0.013	312/2	0.049
37/1	0.009	138/1	0.073
37/2	0.149	313/3	0.270
35/2	0.023	326/1	0.017
34/1	0.010	407/1	0.008
34/3	0.063	407/2	0.019
32/2	0.062	418/4	0.129
43/1	0.139	460/5	0.173
49/2	0.020	460/6	0.036
66/1	0.043	460/8	0.017
कुल खसरा नंबर 22		कुल रकबा 1.336 हे0	

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार

(यशवंत कुमार)

कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग